International Journal of Research
Special Issue for Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 03 Issue 20
December 2016

श्रम संबंधः गांधी जी का दृष्टिकोणः एक नूतन विमर्श

डॉ. केशरी नन्दन मिश्रा

एसोसिएट प्रोफेसर, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैदाबाद, इलाहाबाद।, उत्तर प्रदेश, भारत।

एक समय था, जब गांधी जी ने श्रम संबंधों, जिसे आजकल औद्योगिक सम्बन्धों के नाम से जाना जाता है अपने सत्य–अहिंसा के सिद्धान्तों का प्रयोग कर एक नया प्रतिमान स्थापित किया था, किन्तु आज श्रम–संबन्धों की जो छीछालेदर हो रही है, उसका प्रभाव उत्पादकता और अर्थव्यवस्था पर तेजी से पड़ रहा है। श्रमशक्ति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राष्ट्रीय हितों का तकाजा है कि श्रमशक्ति राजनीति से अलग रहे। परन्तु हमारे देश में स्थिति पूरी तरह राजनीति से बंध गयी है। हालत यह है कि श्रमशक्ति राजनैतिक दलों से बंधकर ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है। जहां से उसका निकलना संभव नहीं हो पा रहा है। पिछले 38 वर्षों में श्रमशक्ति के विकास पर दृष्टि डाली जाये तो पता लगता है कि श्रम–संघ यद्यपि जुझारू बने हैं परन्तु श्रमशक्ति का विकास कुठित हो गया है।

बढ़ते श्रमिक विवाद हड़ताल तालाबंदी की प्रवृत्ति कम होने के बजाय दिनों–दिन बढ़ी है। पिछले दशक में मानव दिनों की जो हानि हुई उसका वार्षिक औसत 2.70 करोड़ बैठता है। इस दशक में 1974, 1979 के वर्ष ऐसे रहे हैं जब मानव दिनों की हानि औसत 40 करोड़ से ऊपर पहुंच गई थी। नुकसान में जाने वाले मानव दिनों की राज्यों और निजी क्षेत्रों का प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के मुकाबले ज्यादा रहा। एक महत्वूपर्ण बात यह रही कि जहां तालाबंदियों के कारण मानव दिनों की हानि 28.2 प्रतिशत रही वहीं हड़ताल के कारण होने वाली हानि प्रतिशत 71.8 प्रतिशत रहा। स्पष्ट है कि आजादी के बाद हम सही श्रमनीति नहीं बना पाये हैं और श्रमिक नेता मालिक या सेवायोजक और सरकार तीनों पक्ष दिशाहीन हैं।

देश में औद्योगिक विकास की जो मौजूदा हालत है, उसमें तालाबंदी, हडताल आदि प्रवृत्तियां जड़ जमा रहीं हैं। आये दिनों हड़ताल आदि से जो राष्ट्रीय क्षति होती है। उसका महत्व आंकड़ों में नहीं आंका जा सकता। एक तरफ करोड़ों रूपयों का नुकसान होता है, तो दूसरी ओर स्वस्थ औद्योगिक संबंधों का ढांचा चरमरा जाता है। गांधीजी ने जिस औद्योगिक संबंध की कल्पना की थी, वह आज की स्थिति में सर्वथा भिन्न है। फिर भी उन्होंने औद्योगिक संबंधों को ठीक करने के चंद मार्ग सुझाये हैं, आज की कसौटी पर वे खरे उतरे हैं। गांधी जी के अहिंसा और शान्ति के सिद्धान्तों से सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। श्रम एवं उद्योग के क्षेत्र में भी उन्होंने यही सिद्धान्त अपनाये हैं। यह गांधीजी की एक महान देने है। गांधीजी का इस दिशा में चिन्तन का क्या तरीका था, उन्होंने जो कुछ सुझाया, उसका आज क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिये तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करना ज़रूरी होगा।

अहमदाबाद का श्रमिक–संघर्ष

दक्षिण अफ्रीका से लौटने के तुरन्त बाद ही गांधीजी का ध्यान अहमदाबाद के वस्त्र उद्योग के संकट की ओर गया। मिल प्रबन्धकों ने मिल में तालाबंदी करके मजदूरों को बेकार कर दिया था। गांधीजी एवं श्रीमती अनुसूयाबेन साराभाई के नेतृत्व में एक कठिन संघर्ष चलाया गया। दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने कई श्रमिक संकटों का सामना किया था। विशेषकर रेलवे कर्मचारियों की एक हड़ताल का जिसमें 20,000 हिन्दुस्तानी मजदूर संबद्ध थे। अहमदाबाद वस्त्र उद्योग के मजदूरों का मार्ग दर्शन करते समय गांधीजी ने मजदूर संघों (यूनियनों) की आवश्यकता का अनुभव किया। 'यंग इंडिया' के अक्टूबर 1916 के अंक में प्रकाशित 'वेजेज एण्ड वेल्यूज' (मजदूरी और कीमतें) नामक लेख में उन्होंने पूंजी–पतियों के सामने अपनी मांगें रखने के साथ ही उनके कार्यान्वयन के लिये उचित और स्पष्ट साधनों को सूत्रबद्ध करने के लिये संघों की आवश्यकता पर बल दिया था। वे चाहते थे कि मिल मालिकों के संघों के माध्यम द्वारा ही बातचीत हो और यदि निर्णय संतोशजनक न हो , तो पंचनिर्णय के लिये अपील की जाय। गांधीजी ने बलपूर्वक कहा कि यदि यह नियम पूर्णतः पल्लवित हो सका, तो

हडतालों का होना असंभव हो जायेगा। उन्होंने ये मत व्यक्त किया कि मैं जानता हूं कि हड़ताल न्याय प्राप्त करने के लिये श्रमजीवियों का अधिकार है, परन्तु पूंजीपतियों द्वारा पंचनिर्णय के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लेने के बाद अविलम्ब ही यह एक अपराध हो जाता है।

जन–आन्दोलन में प्रत्यक्ष रूप में गांधी जी सन् 1918 में आये। यद्यपि वे श्रमिकों के मामलें में पड़ना नहीं चाहते थे, किन्तु परिस्थितियों ने उन्हें इस क्षेत्र में आने के लिये मजबूर कर दिया। सन् 1918 के शूरू में ही अहमदाबाद के मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस देने के निश्चय को वापस कर लेने के लिये हड़ताल चल रही थी। उस समय मिल मालिकों के प्रवक्ता गांधीजी से मिले और हड़ताल समाप्त कराने के लिये गांधीजी से उनके अपने प्रभाव का प्रयोग करने की अपील की। प्लेग बोनस प्लेग नामक बीमारी की बढ़ती हुई कीमतों के आधार पर प्लेग बोनस के स्थापना पर 50 प्रतिशत भत्ते की मांग की थी। गांधीजी ने मिल मालिकों के बोनस के औचित्य और श्रमिकों की महंगाई भत्ते की मांग का अध्ययन किया और उद्योग के मुनाफे को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पंहुचें कि 30–35 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए।

अहमदाबाद के जिलाधीश की अध्यक्षता में मामले को निपटाने के लिये एक समिति बनी, जिसमें गांधीजी, शंकर लाल बंकर और सरदार बल्लभभाई पटेल श्रमिकों की ओर से तथा मालिकों की ओर से तीन उद्योगपति सदस्य थे। मालिकों को गांधी जी का श्रमिकों के पक्ष में बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि गांधीजी का श्रमिकों के पक्ष में बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि गांधीजी के कारण श्रमिकों की मांगों को बढ़ावा मिलेगा, अतः वे समझौता तोड़ने के लिये बहाना ढंढने लगे। इसी बीच श्रमिकों ने काम पर जाना छोड़ दिया। मिल मालिकों ने इसको समझौता प्रस्ताव का भंग किया जना माना और मिलों में तालाबन्दी की घोषणा कर दी। इन सब घटनाग्रों ने गांधीजी को श्रमिकों की समस्या की तह तक जाने के लिये बाध्य किया। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त को इस क्षेत्र में अपनाने का निश्चय किया। अस्तु, साबरमती नदी के किनारे एक बबूल के वृक्ष के नीचे रोज श्रमिकों की

सभाएं होने लगी। इन सभाओं के माध्यम से गांधीजी ने श्रमिकों में साहस, सच्चाई, सहनशक्ति और ईश्वर में विश्वास जैसे गुणों को लाने का प्रयास किया। गांधी जी ने श्रमिकों को सलाह दी कि वे भूखे रह जाय, पर किसी आर्थिक सहायता न लें अन्यथा लोग कहेंगे कि दूसरे की सहायता पर लड़ाई लड़ी गई और लोग हंसी उड़ायेंगे। गांधीजी ने इस बात पर जोर दिया कि लड़ाई बुराई–कड़वाहट के लिये नहीं, वरन् सच्चाई की प्राप्ति के लिये हैं उन्होंने श्रमिकों को शान्ति से रहने तथा लड़ाई–झगड़े से दूर रहने की सलाह दी।

औद्योगिक संबंधों का गांधीवादी आधार

अहमदाबाद नगर निवासियों को आशंका थी कि भूखे रहने पर मजदूर नगर में लूटपाट करेंगे। किन्तु जब उन्होंने मजदूरी का शान्तिपूर्ण रूख देखा, तो जनमत उनके पक्ष में हो गया। स्वयं जिलाधीश तक ने कहा कि ऐसा शांतिपूर्ण आन्दोलन उन्होंने कहीं नहीं देखा। इस बीच श्रमिकों ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि वे भूखे मर रहे हैं:– जबकि गांधीजी अनुसूया–बेन (उद्योगपति पर आम्बालाल की बहिन जो गांधीजी के साथ कार्यक्रमों में भाग लेती थी) आदि के साथ खाना खा रहे है। यह चर्चा हड़ताल शुरू होने के 20 दिन बाद उठी और गांधीजी तक पहुंची। गांधीजी अत्यन्त मर्माहत हुए और इस तथ्य पर पहुंचे कि श्रमिकों की यह काना–फूंसी सत्य है, अस्तु उन्होंने कामगारों का विश्वास न डिगने के लिये अनशन शुरू कर दिया। गांधीजी के अनशन का बड़ा संतुलित प्रभाव मिल मालिकों और श्रमिकों पर पड़ा। एक ओर जहां मिल मालिक झुके वहीं गांधीजी के प्रति श्रमिकों का विश्वास कई गुना बढ़ गया और 35 प्रतिशत महंगाई भत्ते के आधार पर समझौता हो गया। यह समझौता दोनों पक्षों को समान रूप से स्वीकार हुआ। गांधी जी ने औद्योगिक संबंध मजबूत बनाने की जो आधारशिला रखी, उसकी तुलना इस उदाहरण से की जा सकती है कि घेराव के इस युग में अहमदाबाद की 67 सूती टैक्सटाइल मिलों में जहां 1,50,000 से अधिक श्रमिक काम करते हैं, गत 50 वर्षों से हडतालें हनीं हुई हैं। गांधीजी जहां एक ओर मजदूरों के न्यायोचित हक की मांग करते थे,

वहां वे यह भी नहीं चाहते थे कि गलत मांग पर उद्योगपतियों से संघर्ष किया जाय और इस आधार पर अनेक औद्योगिक दर्शन का समय चिन्तन आधारित है।

References

B. N. Ghosh, *Gandhian political economy: principles, practice and policy* (2007) p. 17

Romesh K. Diwan and Mark A. Lutz, *Essays in Gandhian economics* (1987) p. 25

Jesudasan, Ignatius. A Gandhian theology of liberation. Gujarat Sahitya Prakash: Ananda India, 1987, pp. 236–237

Gandhi, Mohandas Karamchand; Tolstoy, Leo (September 1987). B. Srinivasa Murthy, ed. *Mahatma Gandhi and Leo Tolstoy letters*. Long Beach Publications.

Ramachndra Guha (2004). *Anthropologist Among the Marxists: And Other Essays*. Orient Blackswan. pp. 81–6.

Gonsalves, Peter (2012). *Khadi: Gandhi's Mega Symbol of Subversion*. SAGE Publications.

Schroyer, Trent (2009). Beyond Western Economics: Remembering Other Economic Culture. Routledge.

Kaufman, Bruce E. (2004) The Global Evolution of Industrial Relations: Events, Ideas, and the IIRA , International Labour Office

Hyman, Richard (1975). Industrial Relations: A Marxist Introduction. Macmillan.

Salamon, Michael (2000). Industrial Relations: Theory and Practice. Prentice Hall.

P.R.N. Sinha (2004). Industrial Relations, Trade Unions, and Labour Legislation. Pearson Education. pp. 92–110

Ravi S. Srivastava (2005). "Bonded Labor in India: Its Incidence and Pattern". Cornell University. p. 4.

Mario Biggeri; Santosh Mehrotra (2007). Asian Informal Workers: Global Risks, Local Protection. Routledge.

K., B. Saha and D. Maiti (2010). Labour Market Institution and Flexibility in Indian Manufacturing. University of Manchester.